



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062020-219942
CG-DL-E-15062020-219942

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1680]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942

No. 1680]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1883(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्री जियालाल सरोज, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बाबूलाल, डिप्टी कलेक्टर, अधिकृत वाया का.आ. सं. 2391 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 के स्थान पर प्राधिकृत करती है। यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2019-ओ-आर-1/ई-30377]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O.1883(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes Shri. Jiyalal Saroj, Competent Authority, Deputy Collector, Government of Uttar Pradesh to perform the functions of Competent

Authority for Hindustan Petroleum Corporation Ltd's Rewari Kanpur Pipeline under the said Act, within the territory of Uttar Pradesh in place of Shri. BABULAL, authorized vide notification number S.O. 2391 dated 03 Oct 2017. This is effective from the date of notification.

[F. No. R-11025(15)/5/2019-OR-I/E-30377]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.